रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2005/चैत्र 17, 1927
No. 89] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2005/CHAITRA 17, 1927

## कृषि मंत्रालय
### (कृषि और सहकारिता विभाग)
### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2005

**सं. 9-3/2005-पालिसी (ईएस).**—जबकि राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना भारत के किसानों के सामने आने वाली समस्याओं की जांच करने तथा बागवानी, पशुधन, डेयरी तथा मात्स्यिकी सहित विविधिकृत कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता और सततता में सुधार करने के लिए समुचित हस्तक्षेपों पर सुझाव देने के लिए दिनांक 10 फरवरी, 2004 के संकल्प सं. 8/2/2003—पॉलिसी (ईएस) के माध्यम से की गई थी।

जबकि उपर्युक्त आयोग को डॉ एम. एस. स्वामिनाथन की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया गया था और दिनांक 18 नवम्बर, 2004 के संकल्प सं. 8/2/2003—पॉलिसी (ईएस) के माध्यम से सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

जबकि आयोग को सौंपे गए मुद्दों/कार्यों पर उचित रूप से विचार करने के पश्चात् भारत सरकार का मत है कि उक्त आयोग को उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का दर्जा दिया जाना चाहिए; और

अत:, अब, भारत सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग का दर्जा उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का होगा।

के. डी. सिन्हा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE
### (Department of Agriculture and Cooperation)
### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2005

**No. 9-3/2005-Policy (ES).**—Whereas the National Commission on Farmers was set up through Resolution No. 8/2/2003—Pol (ES) dated 10th February, 2004 to examine various issues confronting Indian Farmers and to suggest appropriate interventions for improving the economic viability and sustainability of diversified agriculture including horticulture, livestock, dairy and fisheries;

Whereas the aforesaid Commission was reconstituted under the Chairmanship of Dr. M. S. Swaminathan and notified in the Official Gazette through Resolution No. 8/2/2003—Policy (ES) dated 18th November, 2004;.

Whereas the Government of India after giving due consideration to the issues/tasks assigned to the Commission is of the opinion that the said Commission should be given the status of a High Powered Commission; and

Now, therefore, the Government of India hereby declare that the National Commission on Farmers shall have the status of a High Powered Commission.

K. D. SINHA, Jt. Secy.

1152 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.